फर्द अहकाम

(नियम (26))

अज अदालत ..... सिकराय .....

बनाम .....

मु० नं० .....

किस्म मुकदमा .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि [illegible] डिक्री व आर्डर होने से कोई की आपत्ति नहीं। बार-बार कम अवसर [illegible] गये लेकिन कोई की आपत्ति नहीं मानते। अतः डिक्री का आर्डर पास हुआ माना जाकर [illegible] व मुल्क फैसली के तालिब की जाती है। [illegible] दोनों पक्ष के [illegible] 19/7/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-दौसा	